न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ललित कुमार गुप्ता, *आई.ए.एस*

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 51/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. तुलछाराम पुत्र मुकनाराम, उम्र 56 साल 2. गोविन्दराम पुत्र मुकनाराम उम्र 49 साल दोनो जाति, गाडोलिया लाहोर, निवासी, शिव, तहसील शिव, जिला बाडमेर।		1. जिला कलेक्टर, बाडमेर 2. तहसीलदार, शिव, जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, बाडमेर जो दिनांक 17.4.2018 जिसके द्वारा अपीलान्टगण की अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 2.7.81 खारीज फरमायी गयी।

उपस्थितिः–

1. श्री अभिनव जैन, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 से 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 26.2.2014

प्रकरण के संक्षिप्त इस प्रकार से है कि अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.4.2018 जिसके द्वारा तहसीलदार शिव द्वारा मौजा शिव के मूल खेत खसरा संख्या 26 बाबत पारित नामान्तरकरण संख्य 1085 दिनांक 2.7.1981 को यथावत रखा रखते हुए अपीलान्टगण की अपील खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दौराने सुनवाई उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूल खसरा संख्या 26 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलान्टगण के पिता मुकनाराम का कब्जा काश्त था जिसका तत्समय वर्ष 1975–76 मे तहसीलदार शिव व राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा सर्वे किया था। वर्ष 1975–76 मे कब्जाधारियों के सर्वे के अनुसार काबिज भूमिहीन काश्तकारों को भूमि नियमित करने के लिये कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी ने खसरा सख्या 26 मौजा शिव पर कब्जाधारी काश्तकारों द्वारा कब्जा की गई भूमि की मौका फर्द व तमाम दस्तावेजात की सम्पूर्ण जांच कर सहायक कलेक्टर/परगना अधिकारी व उत्तरदाता तहसीलदार शिव द्वारा खसरा संख्या 26 व अन्य खसरान की भूमि पर कब्जाधारियों की सूची तैयार कर नियमन पत्रावली पर कमेटी द्वारा पूर्ण जांच कर जरिये विस्तृत नियमन आदेश दिनांक 1.10. 1977 के कब्जाधारियों व काश्तकारों को उसके द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का नियमन करने का आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार अपीलान्टगण के पिता को भी खसरा संख्या 26 मौजा शिव मे 26 बीघा 17 बिस्वा का नियमन/आवंटन करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार शिव ने आवंटन आदेश क्रमांक 545 दिनांक 4.4. 1981 व 337 दिनांक 26.3.81 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 1085 पारित किया। जिसमे 26 बीघा 17 बिस्वा अंकित नही कर केवल 11 बीघा अंकित नामान्तरकरण पारित कर दिया। तहसीलदार द्वारा विधि की अवज्ञाकर समस्त दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट को अनदेखा कर कमेटी के निर्णय की अवहेलना किया जाना स्पष्ट प्रतीत है। जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी कर, जो रेकर्ड अनुसार सही तथ्य होने के बावजूद अपीलान्ट की अपील खारीज करने मे विधिक भूल की है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 1085 निरस्त योग्य है।

यह है कि तहसीलदार, शिव द्वारा नामान्तरकरण 1085 पारित करते समय अपीलान्टगण के पिता मुकना वल्द लांगा को कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया और न ही नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलान्ट के पिता को कोई सूचना दी गयी। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण विधि अनुकूल की परिभाषा मे नही आता है,। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 1085 निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने मे वाक्यिाती एवं कानूनी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्षजब मामला मेरिट पर प्रबल हो तो मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज नही करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह निर्धारित किया है कि जहां पर बोनोफाईड देरी का कारण दर्शा दिया गया हो वहां पर न्यायिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए देरी को क्षमा कर अपील को तय करना चाहिए। जब कोई आदेश बिना अधिकारित के तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर पारित किया गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए. आई.आर 1987, एस.सी 1353 के निर्णय अनुसार अपील को मैरिट पर सुनकर तय करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र को खारिज करने जो कारण दिये गये है वे काननी रूप से चलने के काबिल नही है। इस आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि नियमन भूमि पर आवंटी का जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था उसी के अनुरूप नामान्तरकरण पारित किया गया है। अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी के बावजूद 34 वर्ष पश्चात पेश की। अपीलान्टस ने वर्ष 1989 मे ही बेचान कर दिया था। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण पारित होने की अपीलार्थी को जानकारी नही होना मानने योग्य तथ्य नही है। अपीलान्ट का पटवारी हल्का से जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी होने का तथ्य सही नही है। अपील करने मे हुए अत्यन्त विलम्ब को क्षमा करने के समुचित एवं पर्याप्त अपीलान्ट ने प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने एवं नामान्तरकरण सही पारित होने से अपील खारिज की जाए।

हमने अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। मूल पत्रावली, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, निर्णय नजीरों का अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अपीलान्टस के पिता मुकनाराम को आवंटन कमेटी द्वारा खसरा संख्या 26 मे रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन हुआ। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर अपीलान्टस के पिता का 11 बीघा पर ही कब्जा होने से नामान्तरकरण संख्या 1085 11 बीघा का ही स्वीकृत किया गया। मुकनाराम के फौत होने पर उनके वारिसान का नामान्तरकरण संख्या 1176 दिनांक 10.2.1983 स्वीकृत किया गया। जिसमे भी 11 बीघा अंकित है। मुकनाराम के वारिसान वर्तमान अपीलान्टस ने उक्त भूमि का बेचान दिनांक

22.7.1989 किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस को इसकी जानकारी वर्ष 1983 मे हो गयी थी। इसके बावजूद नामान्तरकरण संख्या 1085 के विरूद्ध ना ही मुकनाराम ने अपने जीवन काल मे एवं ना ही अपीलान्टस ने वर्ष 2017 तक कोई कार्यवाही की मृतक मुकनाराम को अपने जीवन काल मे तथा उसके पश्चात अपीलान्टस को आवंटन कमेटी के आदेश की अवहेलना के संबंध चाराजोही करनी चाहिए थी तथा शेष भूमि के आवंटन की मांग करनी चाहिए थी। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमे अधिकारों एवं उपरोक्त जटिल बिन्दु तय नही किये जा सकते है। इस प्रकार के जटिल बिन्दुओं एवं अत्यधिक विलम्ब के पश्चात अपीलान्ट अपने अधिकार को प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है, जहां पर साक्ष्य, सबूतों, गवाहों के बयान सम्पूर्ण जांच कर निर्णय किया जाता है। अपीलान्टस ने राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सम्पूर्ण भूमि का बैचान कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टस खसरा संख्या 26 के वर्तमान खातेदार नही है और ना ही खसरा संख्या 26 पर उनका कब्जा प्रमाणित है। इसलिए पारित नामान्तरकरण संख्या 1085 सही एवं विधिवत पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विवेचन कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है व उचित है, जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.4.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,जोधपुर